

**मांग संख्या 06**  
**मुख्य शीर्ष 2052**

**मद कर्मांक 1**

संचालनालय संस्थागत वित्त व्यवस्था अंतर्गत हल्का वाहन मद में ₹ 4.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 4,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद कर्मांक 2**

यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण मद में ₹ 4.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 4,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद कर्मांक 3**

यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मेलन मद में ₹ 14.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 14,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 2054**

**मद कर्मांक 4**

खजाना स्थापना व्यय अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी मद में ₹ 605.60 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 6,05,60,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।